झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–12/2017 का0–2046/राँची, दिनांक 8 मार्च, 2017

श्री चंदन प्रसाद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच, गृह जिला–पूर्वी सिंहभूम) के अंचल अधिकारी, कोलेबिरा, सिमडेगा के पद पर पदस्थापन अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राँची के पत्रांक–908–अनु0, दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी सहजाद हुसन, कोलेबीरा, सिमडेगा के आवेदन के सत्यापन उपरांत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष कोषांग, राँची थाना कांड सं0–04/2017, दिनांक 19.01.2017, धारा–7/13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया तथा दिनांक 20.01.2017 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टीम द्वारा श्री चंदन प्रसाद, अंचल अधिकारी, कोलेबीरा अंचल, सिमडेगा को श्री हसन से 20,000/– रूपया घूस लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाने के आलोक में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि 20.01.2017 से अगले आदेश तक निलंबित किया गया है।

2. श्री प्रसाद द्वारा यह सूचित किया गया है कि Vigilance Case 05/2017 में दिनांक 07.02.2017 को पारित न्यायादेश के आलोक में उन्हें दिनांक 09.02.2017 को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 13.02.2017 को योगदान समर्पित किया गया है।

3. अतः समीक्षोपरांत न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के उपरांत श्री चन्दन प्रसाद, झा0प्र0से0 (चतुर्थ बैच), सम्प्रति निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(3)(i) के तहत् मानित निलंबनावधि समाप्त समझते हुए उनके योगदान की तिथि दिनांक 13.02.2017 से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

4. आरोप की प्रकृति गंभीर होने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(1)(क) और (ग) के तहत् योगदान स्वीकृति की तिथि दिनांक 13.02.2017 के प्रभाव से अगले आदेश तक पुनः निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द0छो0 प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है, जहाँ वे प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अन्तर्गत उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा उपस्थिति के आधार पर ही इन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम–96 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
8.3.17
(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–12/2017 का०– 2046/राँची, दिनांक 8 मार्च, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, द०छो० प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, सिमडेगा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त (वि०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सिमडेगा/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6(चारित्री कोषांग)/श्री चंदन प्रसाद, मुख्यालय–प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, द०छो० प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.3.17

सरकार के संयुक्त सचिव।